वाद पत्र प्र.सं. 140/2019 अन्तर्गत 88 आरटीएक्ट 136 एलआरए
कृष्णलाल बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
04.01.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 9 के एस डी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 8 में प.नु. 262/363 मु.नं. 3 की कुल खाता योग 2.448है. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादी धारण करता हैं। वादी का सही व वास्तविक नाम कृष्णलाल हैं, मगर वादी को उसके परिजन कृष्णकुमार व कृष्ण दत्त के नाम से पुराकेते थे। जिस कारण वादी के दस्तावेजात में नाम की भिन्नता पैदा हो गयी। वादी ने अपने व्यक्तिगत दस्तावेजात में व अपने बच्चों के शैक्षणिक दस्तावेज में बतौर पिता कृष्णलाल ही दर्ज करवाया हैं। उक्त रकबा वादी को विरास्तन व तत्पश्चात हुवे खाता विभाजन में प्राप्त हैं। तत्कालीन समय लिपिकीय भूलवश अभिलेखों में वादी का नाम कृष्णलाल के स्थान पर कृष्ण कुमार के नाम से उसके पक्ष में नामान्तरित कर दी गयी। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री सादिर फरमाने कि 9 के एस डी तहसील रायसिंहनगरके खाता सं. 8 में प.नु. 262/363 मु.नं. 3 की कुल खाता योग 2.448है. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादी की है तथा घापित किया जावे कि वादी का सही व वास्तविक नाम कृष्णलाल हैं। एवं वादी के नाम की दुरूस्ती करते हुए वादी के नाम कृष्ण कुमार के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम कृष्ण लाल दर्ज करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण में जवाब सरकार पेश होने पर तनकीयात कायम की गयी। शपथ पत्र कृष्णलाल पर ब्यान दर्ज कर दस्तावेज प्रदर्श किये गये। रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/भू.अ./2020/3350 दिनांक 21.12.2020 प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट "कृष्णकुमार पुत्र जेठाराम एवं कृष्णलाल पुत्र जेठाराम एक ही व्यक्ति के नाम हैं। कृष्णकुमार पुत्र जेठाराम की जगह कृष्णलाल पुत्र जेठाराम का नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं।" वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र स्वीकार कर नाम दुरूस्ती के आदेश फरमाने एवं डिक्री बहक वादी पारित करने हेतु निवेदन किया। लिहाजा उक्त विवेचन एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशंषा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता हैं। तथा इस आश्य की घोषणात्मक डिक्री पारित की जाती है कि– जमाबंदी चक 9 केएसडी समवत 2076-2079 खाता सं. 8 में दर्ज मु.नं. 3 की कुल 2.448है. कमाण्ड भूमि की है। तथा उक्त खाता में वादी का नाम कृष्णकुमार पुत्र जेठाराम के स्थान कृष्णलाल पुत्र जेठाराम दर्ज दुरूस्त किया जावे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फँसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.14 16:09:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास :अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 150/2018

1. कृष्णलाल पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार निवासी 9 केएसडी बी(मोकमवाला) तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर –:वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

–:प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट
136 भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांकः–04.01.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री सोहन वर्मा अधिवक्ता वादी, राजपैरोकार प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिया जाता है डिक्री की जाती है कि:–

वाद वादी स्वीकार किया जाता हैं। तथा इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित की जाती हैं कि– जमाबंदी चक 9 केएसडी समवत् 2076–2079 के खाता सं. 8 में दर्ज मु.नं. 3 की कुल 2.448है. कमाण्ड भूमि वादी की है। तथा उक्त खाता में वादी का नाम कृष्णकुमार पुत्र जेठाराम के स्थान कृष्णलाल पुत्र जेठाराम दर्ज दुरूस्त किया जावे।

डिक्री आज दिनांक 04.01.2021 को जारी की गई।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.14 16:09:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner